भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1995
दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किए गए वादों का कार्यान्वयन

1995 डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार इस बात पर स्पष्ट आश्वासन देगी कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा; और
(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्धेश्य हेतु स्पष्ट समय-सीमा तय की जाएगी?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एपीआर एक्ट, 2014) के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एपीआर एक्ट, 2014 के बहुत से प्रावधानों का पहले ही कार्यान्वयन किया जा चुका है। यह मंत्रालय एपीआर एक्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए दोनों राज्यों सहित सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर बैठकों का आयोजन कर रहा है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****